दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या. (सि) 6523/2013

निर्णय की तिथि: 10 अक्टूबर, 2013

सुनील कुमार ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री एस.एन.कौल और श्री आर.एस.कौशिक, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री बरखा बब्बर, भारत संघ की अधिवक्ता

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

आदेश

10.10.2013

न्या. गीता मित्तल (मौखिक)

सि.वि. संख्या 14181/2013

केवल अपवादों के अधीन छूट की अनुमति है।

आवेदन का निपटान किया जाता है।

रि.या. (सि) 6523/2013

1. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा 27 दिसंबर, 2011 की जांच रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पारित 18 जनवरी, 2012 के आदेश को चुनौती दी है।

2. याचिकाकर्ता 01.08.1994 को सीआईएसएफ में स्वीपर के पद पर कार्यरत था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उन्हें 31 जुलाई, 2001, 8 मई, 2008 और 9 अगस्त, 2010 को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने के लिए सजा दी गई थी। इस पृष्ठभूमि में, 25 अक्टूबर, 2011 को घटित घटना के संबंध में, दिनांक 8/9 नवंबर, 2011 के आरोप ज्ञापन के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध सीआईएसएफ नियम, 1969 के नियम 36 के अंतर्गत निम्नलिखित आरोप लगाए गए:

> " **आरोप-I का लेख**
>
> दिनांक 25.10.2011 को लगभग 22:25 बजे, दो दिन के मेडिकल रेस्ट पर रहते हुए, बल के सदस्य संख्या 9413400023 के कांस्टेबल/स्वीपर सुनील कुमार ने यूनिट के बैरक में घुसकर कांस्टेबल/स्वीपर फूल सिंह की पिटाई कर दी, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोट लग गई। यह कदाचार, गैरजिम्मेदाराना व्यवहार और घोर अनुशासनहीनता का मामला है।

आरोप-II का लेख

बल के सदस्य संख्या 941340083 के कांस्टेबल/स्वीपर सुनील कुमार को उनकी पिछली सेवा के दौरान तीन बार छोटी सजा दी गई थी। इतनी सजा मिलने के बाद भी उसने अपने आचरण में सुधार नहीं किया। उसे कदाचार करने की आदत है।"

3. अपने जवाब में, याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि वह उस दिन यानि 25 अक्टूबर, 2011 को मेडिकल रेस्ट पर था और इसलिए उसने घटना में शामिल होने से इनकार किया, जो कि प्रथम आरोप का विषय था।

4. अनुशासनात्मक कार्यवाही में, प्रत्यर्थीगण ने दस गवाहों से पूछताछ की। याचिकाकर्ता द्वारा कोई बचाव प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच अधिकारी ने 27 दिसंबर, 2011 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए दोनों आरोप साबित हुए हैं। जांच अधिकारी की इस रिपोर्ट को अनुशासनिक प्राधिकारी के 18 जनवरी, 2012 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसके तहत उनके खिलाफ सेवा से निष्कासन का जुर्माना भी लगाया गया। याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए एक वैधानिक अपील दायर की, जिसे 31 मई, 2012 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

5. 31 अगस्त, 2012 को पारित आदेश द्वारा सीआईएसएफ के महानिरीक्षक के संशोधन को भी अस्वीकार कर दिया गया।

6. हमारे समक्ष याचिकाकर्ता ने अनुशासनिक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेशों को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि उनके समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। हम पाते हैं कि जहां तक प्रथम आरोप का संबंध है, अभियोजन पक्ष ने पीड़ित फूल सिंह से अभि.सा. 10 के रूप में पूछताछ की है, जिसने स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष का समर्थन किया है तथा प्रतिपरीक्षा में याचिकाकर्ता द्वारा उसकी गवाही को झुठलाया नहीं जा सका।

7. जहां तक घटना का संबंध है, अभि.सा. 10 फूल सिंह के अलावा अभि.सा. 1- उप.नि. रुलिया राम ने भी घटना का समर्थन किया है, क्योंकि वह कांस्टेबल फूल सिंह द्वारा मचाए गए शोर को सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे। अभि.सा. 1 उप.नि./कार्यकारी रुलिया राम ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि उसने कांस्टेबल/स्वीपर सुनील कुमार (यहां याचिकाकर्ता) को कांस्टेबल फूल सिंह के कमरे से भागते हुए देखा था और वह अपने स्कूटर पर भाग गया था।

8. यह बात सर्वविदित है कि यदि पीड़ित का बयान सत्य पाया जाता है तो उस पर आपराधिक मामले में भी दोषसिद्धि के लिए भरोसा किया जा सकता है। कांस्टेबल फूल सिंह के बयान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इसका समर्थन न केवल उपनिरीक्षक/कार्यकारी रुलिया राम द्वारा दिए गए समसामयिक साक्ष्यों से होता है, बल्कि अभि.सा.3 दया राम द्वारा भी किया जाता है, जो

घटनास्थल पर पहुंचे और कांस्टेबल फूल सिंह को घायल अवस्था में देखा। अभि.सा.9 एच.सी./जी.डी. बी.एस.सिंह ने भी इसी आशय की गवाही दी है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से आग्रह किया है कि कांस्टेबल फूल सिंह पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने उसी तारीख को मेडिकल परीक्षण नहीं कराया था। इस गवाह ने इसके लिए स्पष्टीकरण भी दिया है। यह बताया गया है कि यह घटना 26 अक्टूबर, 2011 की देर रात को घटित हुई थी। दिवाली का त्यौहार होने के कारण राजपत्रित अवकाश होने के कारण अस्पताल बंद था; पीड़ित ने बताया कि उसे यूनिट लाइंस में प्राथमिक उपचार दिया गया था और वह 27 अक्टूबर, 2011 को अस्पताल गया था। इस संबंध में, एनएचपीसी के डॉक्टर ने कांस्टेबल फूल सिंह को लगी चोटों की पुष्टि एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप संख्या 11820 दिनांक 27.10.2011 के माध्यम से की है, जो जांच में प्र.अभि.सा.-10/एक्सबी- और एक्सबी- के रूप में साबित हुई। हमारा ध्यान इस प्रिस्क्रिप्शन स्लिप की ओर भी गया है, जिसमें उन चोटों का विवरण है जो याचिकाकर्ता के द्वारा अभि.सा.10 फूल सिंह को लगी थीं।

10. यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रतिपरीक्षा में, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति स्वीकार की है, जब उसने अभि.सा.1 उप.नि./कार्यकारी रूलिया राम से उन कपड़ों का वर्णन करने के लिए पूछताछ की थी जो उसने घटना के समय पहने हुए थे। अन्य

गवाहों से पूछे गए इसी प्रकार के प्रश्न भी उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को याचिकाकर्ता की घटनास्थल पर उपस्थिति का समर्थन करते हैं। अभि.सा.8 कांस्टेबल कुलदीप सिंह ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता उसे स्कूटर पर छोड़ने बैरक तक गया था।

11. याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मद्देनजर, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता के प्रथम आरोप पर दोष का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों द्वारा समर्थित है और याचिकाकर्ता द्वारा इस आधार पर दी गई चुनौती कि यह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं थी, गलत है और इसे ख़ारिज किया जाता है।

12. जहां तक दूसरे आरोप का संबंध है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2001, 2008 और 2010 में इस आरोप पर दंडित किया गया था कि उसने अनधिकृत रूप से छुट्टी से अधिक समय तक छुट्टी ली थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इन आरोपों के लिए इन तीनों अवसरों पर उन पर मामूली दंड लगाया गया था।

13. याचिकाकर्ता के बारे में कहा गया है कि जब उसे 18 जनवरी, 2012 के आदेश के अनुसार सेवा से हटाया गया था, तब उसे 18 साल पूरे हो चुके थे। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की बीमार पत्नी और स्कूल जाने वाले दो बच्चे हैं। याचिकाकर्ता अपने वृद्ध एवं बीमार माता-पिता का भी भरण-पोषण कर रहा है तथा पूरा परिवार भुखमरी के कगार

पर है। यह प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना के अलावा याचिकाकर्ता पर किसी भी बल कार्मिक के साथ दुर्व्यवहार का कोई अन्य आरोप नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता पर जो दंड लगाया गया है, वह उसके साथ घोर अन्याय है तथा यह उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से असंगत है।

प्रार्थना की गई है कि संबंधित प्राधिकारियों को सजा की आनुपातिकता के पहलू पर याचिकाकर्ता के मामले की जांच करने का निर्देश दिया जा सकता है, भले ही उसके खिलाफ आरोप साबित हो जाएं।

14. उपरोक्त के मद्देनजर, 18 जनवरी, 2012, 31 मई, 2012 और 31 अगस्त, 2012 के आदेशों द्वारा याचिकाकर्ता को दोषी पाए जाने के निर्णय को बरकरार रखते हुए, हम पुनरीक्षण प्राधिकारी के 31 अगस्त, 2012 के आदेश को उस सीमा तक अपास्त करते हैं, जिसमें याचिकाकर्ता पर लगाई गई सजा बरकरार रखी गई है और निम्नलिखित निर्देश देते हैं:

(i) प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता पर लगाए गए दंड की आनुपातिकता पर फिर से विचार करना चाहिए। इस संबंध में आज से आठ सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित किए जाएं और याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए।

(ii) यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी सजा के आदेश को बरकरार रखता है, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थीगण से किसी अन्य प्रकार की राहत की मांग कर सकता है, जैसे कि सीसीएस (पेंशन) नियम के नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ते की प्रकृति में, यदि वह स्वीकार्य है, और स्थापित सिद्धांत के आलोक में उस पर विचार कर सकता है।

रिट याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

न्या. गीता मित्तल

न्या. दीपा शर्मा

10 अक्टूबर, 2013
आरबी

(:)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*